

सार्वजनिक किया गया

विभाजन के बाद का कूटनीतिक ब्लूप्रिंट

1948-1950 के भारत-पाकिस्तान

अंतर-डोमिनियन समझौते

अपराधिक अंतर्दृष्टि

द्वारा डॉ. मृदुल श्रीवास्तव

ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेजों का एक दृश्य विश्लेषण

नेहरू-लियाकत समझौता (1950):

विभाजन के बाद विश्वास और सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम।

अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार और सुरक्षा

नागरिक समानता और सुरक्षा की गारंटी

दोनों सरकारों ने धर्म के भेदभाव के बिना जीवन, संस्कृति और संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा का वादा किया।



प्रवासियों के लिए सुरक्षित आवागमन

पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, असम और त्रिपुरा के प्रवासियों को सुरक्षित यात्रा और सामान ले जाने की अनुमति।



₹ वयस्क (Adult) 150 रुपये अधिकतम
₹ बच्चा (Child) 75 रुपये अधिकतम

प्रवासियों को नकद राशि ले जाने की अनुमति की सीमा



अचल संपत्ति का अधिकार

31 दिसंबर, 1950 तक लौटने वाले प्रवासियों को उनकी जमीन और घर वापस मिलने का प्रावधान।



कार्यान्वयन और प्रशासनिक उपाय

अल्पसंख्यक आयोगों (Minority Commissions) का गठन

शिकायतों के निवारण और समझौते की निगरानी के लिए मंत्रियों की अध्यक्षता में आयोग बनाए गए।



सांप्रदायिक दुष्प्रचार पर कड़ा नियंत्रण

प्रेस, रेडियो और किताबों के जरिए नफरत फैलाने वाले प्रोपेगेंडा पर कानूनी रोक लगाई गई।



जबरन धर्म परिवर्तन की अस्वीकृति

अशांति के दौरान किए गए किसी भी अबरन धर्म परिवर्तन को मान्यता न देने का निर्णय।



यह समझौता दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास पैदा करने और प्रवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास था।

समस्या

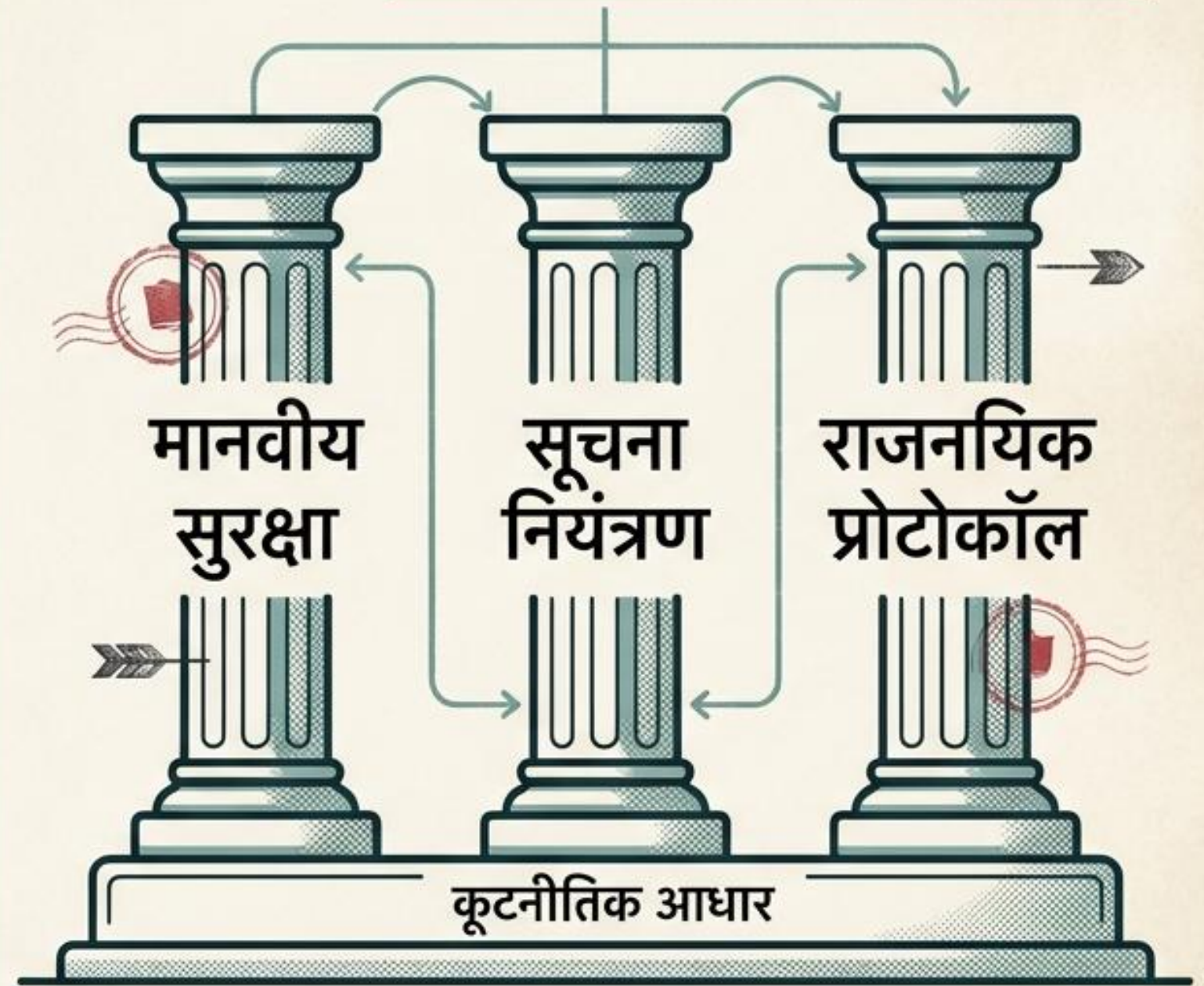
- 1947 के विभाजन के बाद अभूतपूर्व मानवीय विस्थापन
- प्रशासनिक अराजकता
- युद्ध का खतरा

SECRET

URGENT

SECRET

समाधान: अंतर-डोमिनियन समझौते



इन दस्तावेजों ने अराजकता को एक व्यवस्थित कूटनीति में बदलने का प्रयास किया।

स्तंभ 1: अल्पसंख्यक अधिकार और सुरक्षा

सहमति



पूर्ण
नागरिकता

धर्म की परवाह किए
बिना समानता



सुरक्षा और
सम्मान

जीवन, संस्कृति, संपत्ति
और व्यक्तिगत सम्मान की
पूरी सुरक्षा



मौलिक
स्वतंत्रता

आवाजाही, व्यवसाय,
अभिव्यक्ति और पूजा की
स्वतंत्रता

बॉर्डर क्रॉसिंग जर्नी: एक शरणार्थी क्या ले जा सकता था?



नकद सीमा

अधिकतम 150 रुपये प्रति वयस्क, 75 रुपये प्रति बच्चा

वैकल्पिक सुरक्षा

जो नकदी या आभूषण साथ नहीं ले जाना चाहते, वे बैंक में जमा कर सकते हैं और उचित रसीद प्राप्त कर सकते हैं

आभूषण

व्यक्तिगत आभूषण साथ ले जाने की अनुमति

कस्टम पोस्ट

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कोई उत्पीड़न नहीं; निगरानी के लिए संपर्क अधिकारी तैनात



संपत्ति के अधिकार मैट्रिक्स

चल संपत्ति

चल संपत्ति



व्यक्तिगत सामान और घरेलू सामान साथ ले जाने की पूरी स्वतंत्रता

अचल संपत्ति



नियम: स्वामित्व बरकरार रहेगा

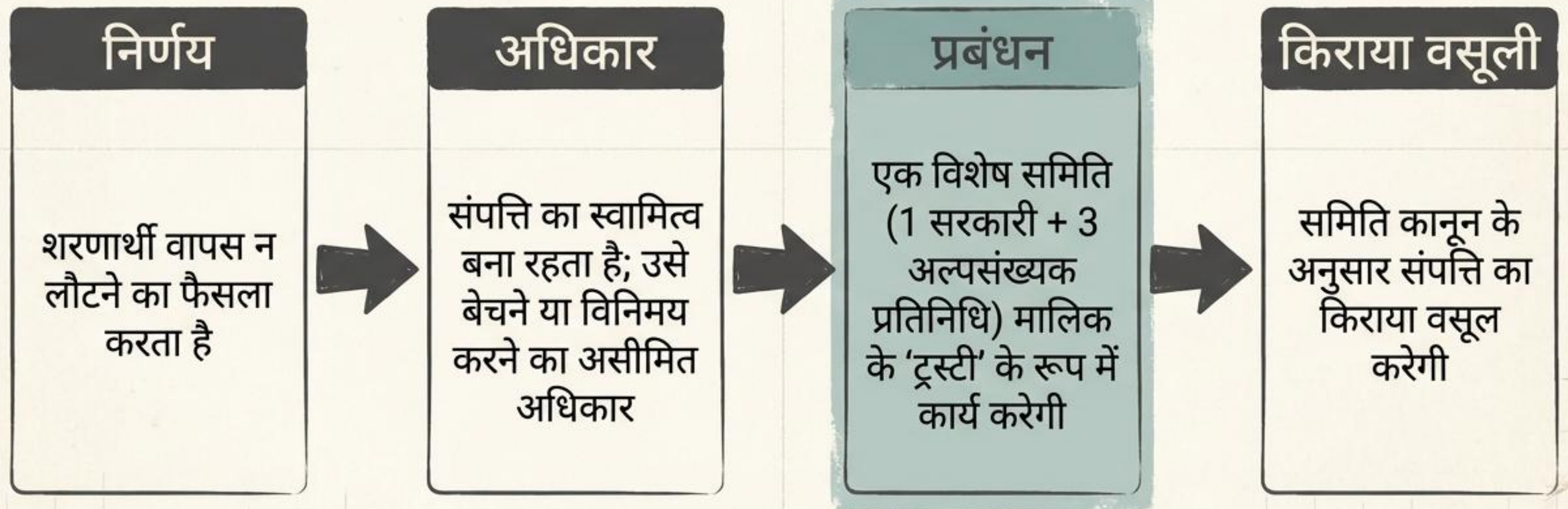


शर्त: 31 दिसंबर 1950 तक वापस लौटने पर जमीन/घर लौटा दिया जाएगा



अपवाद: असाधारण मामलों में, 'अल्पसंख्यक आयोग' को मामला भेजा जाएगा

द ट्रस्टीशिप मॉडल: यदि कोई शरणार्थी वापस नहीं आता है



संकट प्रबंधन और न्याय

धर्मांतरण

सांप्रदायिक अशांति के दौरान किए गए किसी भी धर्मांतरण को 'जबरन धर्मांतरण' माना जाएगा और मान्यता नहीं दी जाएगी



अगवा महिलाएँ

अगवा की गई महिलाओं की वापसी में सहायता के लिए अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष एजेंसी की स्थापना

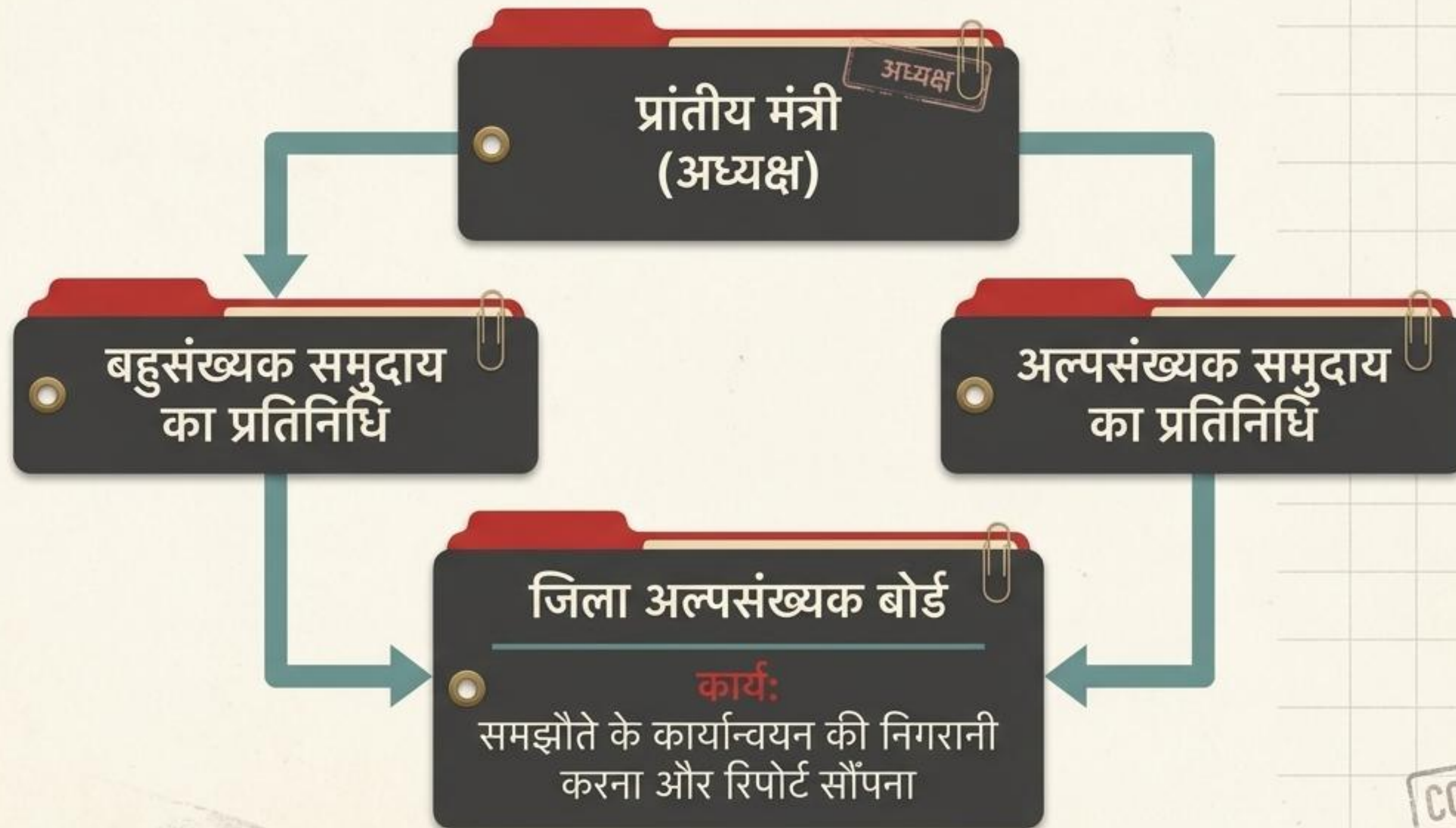


लूटी गई संपत्ति

लूटी गई संपत्ति की वापसी के लिए हर संभव प्रयास और दोषियों पर सामूहिक जुर्माना



कार्यान्वयन पदानुक्रम: अल्पसंख्यक आयोग



CONFIDENTIAL

स्तंभ 2: सूचना युद्ध को रोकना

प्रेस और मीडिया पर नियंत्रण का कूटनीतिक समझौता

दोनों देश किसी भी ऐसे 'प्रोपेगैंडा' की अनुमति नहीं देंगे जो:

- दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ हो
- दोनों के बीच युद्ध भड़काने का प्रयास करे



यह सुनिश्चित करने के लिए 'इंटर-डोमिनियन सूचना सलाहकार समिति' का गठन किया गया।

सेंसरशिप तंत्र: जानकारी को कैसे फ़िल्टर किया गया



किताबें और प्रकाशन

Censorship Cards

- आपत्तिजनक पुस्तकों की समीक्षा; यदि कोई सरकारी प्रकाशन समझौते का उल्लंघन करता है, तो उसे प्रचलन से वापस लिया जाएगा



पोस्टर

Censorship Cards

- समझौते की भावना के विरुद्ध वाले पोस्टरों के प्रदर्शन पर सख्त रोक; पुलिस द्वारा निगरानी



फ़िल्में

- फिल्म सेंसर बोर्ड को निर्देश कि वे भड़काऊ फिल्मों या न्यूज़रील को प्रमाणित न करें

CONFIDENTIAL

स्तंभ 3: नई राजनयिक सीमाएँ



- **विभाजन से पहले** जो प्रांत सीधे बात करते थे, वे अब दो अलग-अलग संप्रभु राष्ट्र थे
- **नया नियम:** भारत और पाकिस्तान के बीच सभी आधिकारिक संचार अब स्थापित कूटनीतिक प्रथाओं के अनुसार '**विदेश मंत्रालय**' के माध्यम से किए जाने चाहिए

CONFIDENTIAL

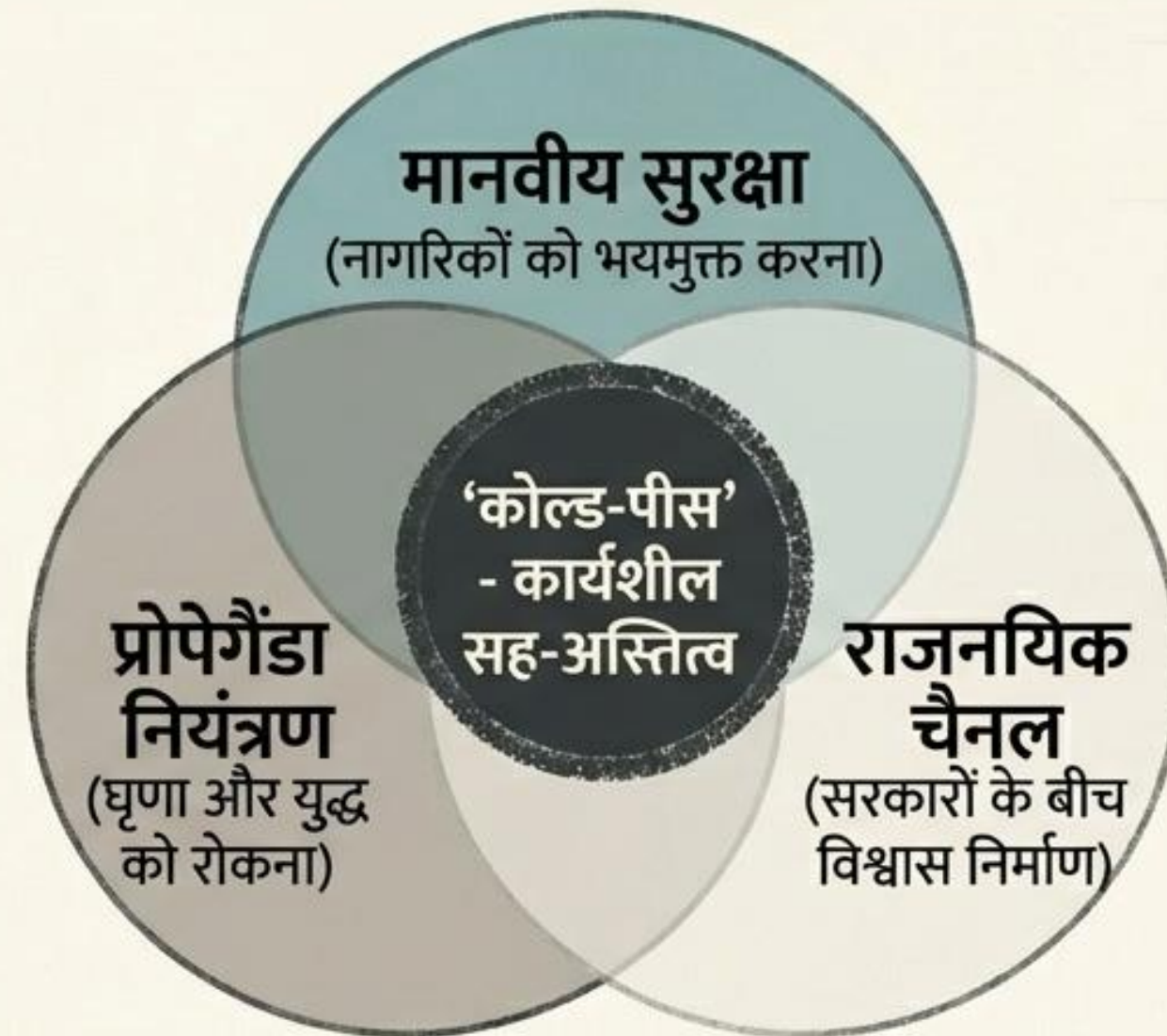
राजनयिक संचार प्रोटोकॉल मैट्रिक्स



स्तर	सीधी बात की अनुमति?	शर्त
केंद्र सरकार	✗	उच्चायुक्त के माध्यम से पत्राचार
विभाजित प्रांत	✓	सभी महत्वपूर्ण संचार की प्रतियां विदेश मंत्रालय को भेजनी होंगी
गैर-विभाजित प्रांत	✗	कोई सीधा पत्राचार नहीं

CONFIDENTIAL

सिंथेसिस: इंटर-डोमिनियन 'ऑपरेटिंग सिस्टम'



मानवीय सुरक्षा बिना मीडिया नियंत्रण के असंभव थी, और इन दोनों को लागू करने के लिए एक सख्त राजनयिक ढाँचे की आवश्यकता थी। ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे।

CONFIDENTIAL

निष्कर्ष: सह-अस्तित्व का ब्लूप्रिंट

ये दस्तावेज़ केवल कानूनी नियम नहीं थे। वे विभाजन की अराजकता के बीच दो नव-स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा पूर्ण युद्ध को टालने और एक-दूसरे के साथ जीने का तरीका खोजने का पहला कूटनीतिक प्रयास थे।

JAWAHAR LAL NEHRU,
Prime Minister of India.

LIAQUAT ALI KHAN,
Prime Minister of Pakistan.

NEW DELHI :
April 8, 1950.

CONFIDENTIAL